इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 494] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 12 सितम्बर 2017—भाद्र 21, शक 1939

आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

मध्यप्रदेश प्री आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग (मध्यप्रदेश पाहुन्ट) स्नातक प्रवेश परीक्षा नियम 2017

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2017

क्र. एफ-1-15-2017-1-उनसठ.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 30 मई 2017 में अधिसूचित "मध्यप्रदेश प्री आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग (मध्यप्रदेश पाहुन्ट) स्नातक प्रवेश परीक्षा नियम 2017" के नियम 16 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए उक्त नियमों में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, अर्थात्:—

(1) उक्त नियमों के नियम 9.4 तथा नियम 9.6 के अन्तर्गत वर्णित शुल्क (पंजीयन एवं च्वाईस फिलिंग) पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू रहेगा जिसका वहन अभ्यर्थी द्वारा किया जावेगा.

(2) उक्त नियमों के साथ संलग्न टेबल 4 की कण्डिका 1 "शासकीय (स्वशासी) आयुष महाविद्यालयों की फीस" के स्थान पर निम्नलिखित संशोधन स्थापित किया जाता है :—

क्र. (1)	फीस का पद (2)	आयुर्वेद (3)	यूनानी (4)	होम्योपैथी (5)	अन्य विवरण (6)
1	शिक्षण शुल्क	40000.00	35000.00	35000.00	प्रतिवर्ष
2	स्टूडेन्ट फण्ड (क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क).	1500.00	2500.00	1000.00	प्रतिवर्ष
3	सुरक्षा निधि	10000.00	10000.00	7500.00	प्रवेश के समय एक बार
4	शैक्षणिक यात्रा भ्रमण शुल्क	4000.00	3000.00	3000.00	प्रवेश के समय एक बार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	छात्रावास सुरक्षा निधि	5000.00	- -	10000.00	प्रवेश के समय एक बार (छात्रावासी विद्यार्थियों के लिये)
6	छात्रावास निवास शुल्क	12000.00	- -	20000.00	प्रतिवर्ष (छात्रावासी विद्यार्थियों के लिये).
7	प्रतिभूति निक्षेप	देखें नियम-7.1			

(3) उक्त नियमों के अंतर्गत होने वाले प्रवेश आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली अथवा आयुष विभाग मध्यप्रदेश शासन के उस प्रवेश दिनांक को प्रभावशील आदेशों/निर्देशों/नियमों के अधीन रहेंगे. पूर्व चरणों की काउंसिलिंग के आधार पर हुये प्रवेश उपरान्त यदि संबंधित आदेश/निर्देश/नियम में कोई परिवर्तन होते हैं तब वह आगामी चरणों की काउंसिलिंग हेतु ही लागू होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिखा दुबे, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.